FORM III

फर्द अहकाम

(नियम – 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम नीमकाथाना (राज.)

लालचन्द बनाम भूमिधारी

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी मु0नं0 278 सन् 2025 जीसीएमएस नं. 2025/472

	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
025	रिपोर्ट सरिस्ता होकर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता श्री बलराम सैनी उपस्थित। प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थी की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 03.07.2025 को पेश हो। **राजवीर सिंह यादव** **उपखण्ड अधिकारी** **नीमकाथाना (सीकर)** 3/7/25 पत्रावली पेश हुइ। वकुलाय उपस्थित P.O साहब दीगर कार्य मे व्यस्थ हैं पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनांक 15/9/25 को पेश हों। पत्रावली पेश हुइ। वकुलाय उपस्थित P.O साहब दीगर कार्य मे व्यस्थ है पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनांक 8/10/25 को पेश हों। 08/10/2025 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप0। अप्रार्थी की तामील सम्यक रूप से होना पायी गयी। बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित। अतः अप्रार्थी के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती हैं। तरतीबी अप्रार्थीगण सं0 4, 5, 7, 13, 15 का जमाबन्दी से नाम हटने के कारण उक्त अप्रार्थीगण का नाम हजफ करने बाबत प्रार्थना पत्र वकील प्रार्थी ने पेश किया जो न्यायहित में स्वीकार कर तरतीबी अप्रार्थीगण सं0 4, 5, 7, 13, 15 का नाम प्रार्थना पत्र में लाल स्याही से हजफ किया जाता हैं। शेष तरतीबी [illegible]ा की ओर से श्री अयूब मोहम्मद [illegible] ने [illegible]नामा पेश किया जो शामिल मि[illegible] [illegible]। बहस वकुलाय उभयपक्ष सुनी गयी। द[illegible]ने बहस वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि का तहसीलदार के आदेशानुसार सीमाज्ञान दिनांक 30.05.2025 को करवा लिया हैं। अब प्रार्थी अपनी भूमि की चिन्हित सीमाओं के अनुसार पत्थरगढ़ी	प्रार्थना पत्र हजफ No objection.

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav

Date: 2025.10.28 12:39:29 IST

Reason: SelfAttested

कराना चाहते हैं। अतः वकील प्रार्थी व अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी मुताबिक अनुतोष स्वीकार फरमाने का निवेदन किया।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं सीमाज्ञान दिनांकित 30.05.2025 का अवलोकन किया गया एवं वकुलाय उभयपक्ष की बहस पर सगौर मनन किया गया। चूंकि प्रार्थी सीमाज्ञान दिनांकित 30.05.2025 के मुताबिक अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। अतः प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर पत्रावली में आदेश इस आशय का जारी किया जाता हैं कि :–

<u>आदेश</u>

तहसीलदार नीमकाथाना तन ग्राम कैरवाली पटवार हल्का कोटड़ा तहसील नीमकाथाना अवस्थित ख.नं. 854, 859 कुल किता 02 कुल रकबा 3.04 है0 में प्रार्थी, सहखातेदारान तथा पड़ौसी खातेदारान को सूचित कर उनकी उपस्थिति में बाद सम्यक संतुष्टि सीमाज्ञान मुताबिक सीमाज्ञान दिनांकित 30.05.2025 पत्थरगढी की जावे तथा कृषि भूमि का एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 128, 111 मे वर्णित प्रक्रिया का पालन करते हुए पत्थरगढ़ी करवाकर विवाद का निस्तारण करे। दौराने पत्थरगढ़ी किसी प्रकार का कब्जा दिलवाने अथवा बेदखली की कार्यवाही नहीं की जावें। तहसीलदार नीमकाथाना को निर्णय की पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 08.10.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.10.28 12:39:29 IST
Reason: SelfAttested

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
नीमकाथाना